(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 24 / 2026

दायर दिनांक: 23.01.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पिडावा जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. अम्बाराम पि. कन्हैयालाल जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
2. नारायण पि. कन्हैयालाल जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
3. गंगाबाई पत्नि कन्हैयालाल जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
4. गुड्डीबाई पि. कन्हैयालाल जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
5. अरूणा पि. जगन्नाथ जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
6. कैलाशबाई पत्नि जगन्नाथ जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
7. गोपाल पि. जगन्नाथ जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
8. मनोज पि. जगन्नाथ जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
9. संगीताबाई पि. जगन्नाथ जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
10. मनोहरबाई पि. नाथू जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
11. विकास पि. सीताराम जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
12. कृष्णा पि. सीताराम जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
13. राधा पि. सीताराम जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
14. सोना पि. सीताराम जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा
15. रामूबाई पत्नि सीताराम जाति बारेठ नि. सेमलीचौहान तहसील पिडावा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– पैरोकार सरकार

अप्रार्थीगण :– एकतरफा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड

आदेश

दिनांक : 18/03/2026

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम सेमली चौहान तहसील पिडावा जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 930 रकबा 0.0253 गैर मुमकिन चाह ...वादी के खाते दर्ज है जिसे आगे ... संबोधित ...या गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी ... की ...ई भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं ... आ ... है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अभिलेख निरीक्षक संलग्न है। उक्त चाह का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

नियमन राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) नियमितिकरण के अनुसार चरागाह भूमि में बनाये गये कुएं का श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. पिडावा द्वारा आदेश दिनांक 20.12.1978 द्वारा किया गया है जिसका नामान्तरण संख्या 275 दिनांक 13.08.1980 से गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटन आदेश व नामा प्रति संलग्न है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज करने के आदेश होने से चाह नियमन के बाद दर्ज नामान्तरण में आवंटी को गैरखातेदार दर्ज किया गया है। संलग्न है। उक्त वर्णित नियमों के प्रावधानों में चरागाह भूमि पर बनाये गये कुओ को नियमित कर गैर खातेदार में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय राज. उच्च न्यायालय ने जयनारायण बनाम राजस्व मण्डल व अन्य मामले में प्रतिपादित किया है कि राज. काश्तकारी अधिनियम 16 की भूमियों को आवंटन/नियमितिकरण किया जाना विधि विरूद्ध है। 10 वर्षों के पश्चात आवंटनकर्त्ता को लीज को रिन्यूवल नहीं कराया गया अतः आवंटन खारीज योग्य है। लीज दिनांक से आज दिनांक तक लीज रेन्ट जमा नहीं कराया गया है, न ही लीज रेन्ट की आंक कायमी की गई है। अतः निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अन्तर्गत नियमित किये गये ख.नं. 930 रकबा 0.0253 है.किस्म गे.मु.चाह का नियमितिकरण खारीज कर पुनः चरागाह दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 06.03.2026 से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, ग्राम सेमली [illegible] सं. 2075-76 के नामा सं. 503, ग्राम सेमली चोहान [illegible] 13.08.1980, नामा. 621, नामा.सं. 1925 दिनांक 11.12.2025, नामा.सं. 1926 दिनांक 17.12.2025,

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(4)

सं 2035–38 व 2076–79 की खसरा गिरदावरी, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर का परिपत्र दिनांक 20.11.2007 की प्रति पेश की।

4 प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सेमली चौहान के खाता सं. 503 के ख.नं. 930 रकबा 0.0253 गे.मु.चाह अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त आराजी सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिचाई प्रयोजनार्थ कुये खादने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) के अधीन सिवायचक भूमि में अतिक्रमण कर बनाये गये अवैध कुएं को नियमितिकरण कर प्रति वर्ष 24/– की लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षो के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 20.12.1978 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5 पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना नियत तारीख पेशी पर अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण के पासे अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य नहीं है।

6 पैरोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम सेमली चौहान तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 930 रकबा 0.0253 है. किस्म गे.मु.चाह अप्रार्थीगण की गैरखातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम सेमली चौहान के नामा सं. 275 दिनांक 13.08.1980 के अवलोकन [illegible] है कि नामान्तरण [illegible] के पैरा सं. 14 व 15 में "आदेश [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश 6811 [illegible] [illegible] रकबा [illegible]–01 बीघा, ख.नं. 930 रकबा 0–02 बीघा, 929 रकबा 4–01 बीघा कन्हैयालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

पि. गंगाराम बारेठ को एलाट की जा चुकी है। फीस पटटा जमा नहीं हुआ है। कब्जा दे दिया गया है। रिपोर्ट सेवा में पेश है" का अंकन है। अतः जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 930 रकबा 0–02 बीघा भूमि पर बने कुए का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था।

7. राजस्थान भू.राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तो पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से – जो भी पहले हो– के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तो के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षो के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षो की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्ते निम्नानुसार है –

<u>**Rule 7. Conditions of allotment**</u>.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, whichever is higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or the pumping set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, ... (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary, after giving an opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. उपखण्ड अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित करना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पेशकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीजडीड के [illegible] दर्ज करने के [illegible] नियम 7 के विरूद्ध टाईपिंग [illegible] गैरखातेदारी [illegible] दर्ज करना स्वीकार किया है।

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा [illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

9 हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी [illegible] सरकार द्वारा [illegible] पिड़ावा के आदेश दिनांक 20.12.1978 की [illegible] में [illegible] करने का कोई [illegible] नहीं किया है [illegible] राजस्व रिकार्ड में [illegible] तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आसामी/[illegible] की [illegible] न हैं नहीं करते [illegible] से [illegible] दर्ज करने की त्रुटि, को दुरुस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिकों द्वारा लिपिकीय/टाईपिंग त्रुटि से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरुस्त किये जाने के प्रावधान है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम [illegible] तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा नं. 930 रकबा 0.0253 गैर मुमकिन राह के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

:-क्रियात्मक आदेश:-

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत दुरुस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम [illegible] तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा नं. 930 रकबा 0.0253 गैर मुमकिन राह में प्रविष्टि को दुरुस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर [illegible] दर्ज की जावे। [illegible] अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार पिड़ावा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज [illegible] करें। यह निर्णय आज दिनांक 18/3/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.05.15 13:56:18 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, झालावाड़, राज०

Scanned with OKEN Scanner